न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2015/00182

अपील संख्या - 32/15

जग्गा पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासी नीमली कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर
अपीलांट

बनाम

1. सहायक भू प्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 131/2004 निर्णय दिनांक 22.10.14 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री भोलाशंकर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 27.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.10.14 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया किया वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 134/275 रकबा 5 बीघा ग्राम नीमलीकलां मे स्थित है। जिसके गत सेटलमेंट द्वारा नये ख0न0 255 रकबा 0.51 ,258 रकबा 0.74 ऐयर, 258/980 रकबा 0.01 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 बने जो वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है। आराजी ख0न0 255,258,258/980 का नवीन सेटलमेंट मे नये नम्बर 260 रकबा 1.75 है0 बन गये है जिसमे से 1.26 है0 वादी की आराजीयात है। प्रतिवादी न0 1 वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात को चारागाह बना दिया जो निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा गलत इन्द्राज करने के कारण प्रतिवादी न0 2 द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की फरमाई जावे कि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात ख0न0 255,258,258/980 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 जिसके नये नम्बर 260 रकबा 1.75 है0 किस्म चारागाह बने है जिसमे वादी की कब्जे काश्त 1.26 है0 पर प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा ,मदालखत न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खेत ख0न0 134/275 रक़बा 5 बीघा प्रार्थीगण को आवंटित की गई थी। जिसकी पासबुक व राजस्व रिकार्ड अपीलांट के पक्ष मे है। अर्थात उक्त भूमि का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है। सेटलमेट विभाग द्वारा खेत ख0न0 134 जो काफी बडा रकबा था उसमे वादी जहॉ काबिज था उसे चारागाह जमीन दर्शित कर दी और अन्य लोगो के कब्जे की भूमि पर अपीलांट का कब्जा दर्शित कर दिया। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। प्रार्थी का पुराना ख0न0 134/275 के नवीन ख0न0 सेटलमेंट विभाग द्वारा 255 रकबा 0.51 है0 भूमि दर्शित की गई। जिस पर मोती पुत्र गोपीनाथ का कब्जा है तथा दूसरा नवीन ख0न0 258 रकबा 0.74 है0 जिस पर देवीलाल,प्रहलाद पिसरान मोती एवं गोपाल पुत्र बद्री का कब्जा है एवं नवीन ख0न0 258/980 रकबा 0.01 है0 भूमि गैर मुमकिन चाह जिस पर देवीलाल वगै0 का कब्जा है अर्थात इससे ये स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट का सेटलमेंट विभाग द्वारा जो नवीन ख0न0 255,258 व 258/980 दर्शित किये है उस पर अपीलांट का कोई कब्जा ना तो पूर्व मे रहा ना ही वर्तमान मे है। बल्कि आवंटन के समय से ही अपीलांट को कब्जा खेत ख0न0 260 जिसका कुल रकबा 1.75 है0 भूमि है। जिसमे अपीलांट का 1.26 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। और इसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी। प्रार्थी के वाद पत्र के कथनो की उक्त रिपोर्ट से ताईद होती है। प्रार्थी का वर्ष 1961 से निरन्तर ख0न0 260 पर ही कब्जा रहा है। जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत दर्शित किया गया है। इसके अलावा अन्य कही भी अपीलांट का कब्जा नही है। अधिनस्थ न्यायालय को मौके की रिपोर्ट के अनुसार वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाना चाहिए था। जिसे खारिज कर अहम भूल की है। अपीलांट ने अपने वाद पत्र के सर्मथन मे समस्त दस्तावेजी सबूत पेश किये व गवाहान के बयान कराये। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इनका कोई विवेचन नही किया एवं वादी का वाद पत्र खारिज कर अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थिति बिलकुल स्पष्ट थी कि 134/275 रकबा 5 बीघा मे आवंटित स्थान वर्तमान ख0न0 260 है ना कि 255,258,258/980 और मौका रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत इन्द्राज का दुरूस्त करने के बजाय वादी का वाद पत्र गलत रूप से खारिज कर दिया गया। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 9.10.12 पर तहसीलदार ने बिना किसी आधार के ख0न0 की भिन्नता बताते हुए वाद पत्र निरस्त करने का फैसला कर अधिनस्थ न्यायालय को पत्र जारी कर दिया गया। जबकि तहसीलदार को इस प्रकार का फैसला करने का कोई अधिकार नही है। केवल मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की गई थी तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करने के साथ एक मौका कमिश्नर की हैसियत से उपर जाकर न्यायालय से उपर अपना मत जाहिर कर दावा खारिज करने की सिफारिश कर दी गई। जिसका [illegible] को कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश [illegible] मान्यताओ के विपरीत है जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की [illegible] स्वीकार की जाकर सेटलमेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विभाग द्वारा ख0न0 134/275 रकबा 5 बीघा जिसके नवीन ख0न0 255,258,258/980 के स्थान पर ख0न0 260 दुरूस्त किये जावे तथा 255,258,258/980 को प्रार्थी के रिकार्ड से हटाया जाकर अपीलांट की अपील उक्तानुसार स्वीकार की जावे।

जबाब मे पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि भूमि ख0न0 255 रकबा 0.51 है0 पर गोपी पुत्र गोपीनाथ व ख0न0 258/0.74 है0 व 258/980 रकबा 0.01 है0 पर देवीलाल,प्रहलाद पिसरान मोती कुम्हार 2/3 गोपाल पुत्र बदरी गुर्जर हिस्सा 1/3 पर कब्जा है। वादी/अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से आराजी ख0न0 260 रकबा 1.75 है0 चारागाह पर कब्जा कर रखा है। अपीलांट द्वारा जिस आराजीयात ख0न0 260 मे से 1.26 है0 पर खातेदारी चाही गई है राजस्व रिकार्ड मे चारागाह भूमि दर्ज है। जिसका विधि के प्रावधानो के तहत खातेदारी दिया जाना न्याय संगत नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही अपीलांट/वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन रहा कि आराजी ख0न0 134/275 रकबा 5 बीघा अपीलांट को आवंटित की गई थी। जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन नम्बर 255 रकबा 0.51 है0, ख0न0 258/0.74 है0 व 258/980 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 कायम किये । अपीलांट का कथन रहा कि भूमि ख0न0 260 रकबा 1.75 है0 मे से रकबा 1.26 है0 पर अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट द्वारा आवंटन के संबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज ना तो अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया है ना ही इस न्यायालय मे पेश किया है। जिससे उसके आवंटन की ताईद हो सके। पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट मे आराजी ख0न0 260 रकबा 1.75 है0 किस्म चारागाह पर वादी/अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा बताया गया है तथा जोत लगाकर कब्जा किया जाना अंकित है। चूकिः भूमि की किस्म चारागाह है जिसके खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का सम्पूर्ण विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 131/04 निर्णय दिनांक 22.10.14 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner